

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.),

वेबसाइट- [www.govtcollbalod.ac.in](http://www.govtcollbalod.ac.in), ईमेल- [govtcollbalod@rediffmail.com](mailto:govtcollbalod@rediffmail.com)

कमांक - 1102 /स्था./अतिथि व्याख्याता/2026-27

बालोद, दिनांक- 22/10/2026

- :: अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन :: -

अतिथि व्याख्याता नीति 2024(यथा संशोधित 2026) के संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक ESTB-2035/37/2026-RAJPATRIT STHAPNA नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18/08/2026 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/08/2026 तथा अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा दुर्ग संभाग दुर्ग का पत्र कमांक /779/क्षे.का.उ.शि./2026, दुर्ग दिनांक 19/08/2026 के परिपालन में शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) पिन- 491226 में रिक्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं ग्रंथपाल पद के विरुद्ध निम्नलिखित विषयों में अध्यापन /अन्य व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि कीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथालय सहायक / कीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 02 नवम्बर 2026 को सायं 4.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-**

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि कीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/कीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि कीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/कीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

**विषय / पदों का विवरण :-**

| कमांक | विषय | रिक्त पद एवं संख्या |                  | अतिथि ग्रंथपाल |
|-------|------|---------------------|------------------|----------------|
|       |      | प्राध्यापक          | सहायक प्राध्यापक |                |
| 1     | —    | —                   | —                | 01             |

**टीप :-** संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/ नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

**शर्त :-**

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर सेट/नेट, एम.फिल. / पी-एच. डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 02 नवम्बर 2026 को सायं 4.00 बजे तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन

- स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परि संभावित होगा ।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
  04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **12 नवम्बर 2026** महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा । महाविद्यालयों की वेबसाइट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा । वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा ।
  05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **16 नवम्बर 2026** तक होगी ।
  06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **18 नवम्बर 2026** को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा ।
  07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है ।
  08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।
  09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा ।
  10. अतिथि व्याख्याताओं / अतिथि शिक्षण सहायक / अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी / अतिथि ग्रंथपाल सहायक / अतिथि क्रीड़ा सहायक के अंतर्गत देय **मानदेय** निम्नानुसार होगा :-
    1. अतिथि व्याख्याता मानदेय - 2000 /- प्रति कार्य दिवस (प्रति माह अधिकतम 50,000 /-)
    2. अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी - 1600 /- प्रति कार्य दिवस (प्रति माह अधिकतम 40,000 /-)
    3. अतिथि शिक्षण सहायक मानदेय - 1400 /- प्रति कार्य दिवस (प्रति माह अधिकतम 35,000 /-)
    4. अतिथि ग्रंथपाल सहायक / अतिथि क्रीड़ा सहायक - 1200 /- प्रति कार्य दिवस (प्रति माह अधिकतम 30,000 /-)
  11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) पिन- 491226 एवं आवेदित विषय / पद आवश्यक रूप से लिखें ।
  12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे ।
  13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।
  14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
  15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के आदेशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे ।
  16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे ।

  
 प्राचार्य  
 शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त  
 स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद  
 जिला बालोद (छ.ग.)

पृष्ठांकमाक-  
प्रतिलिपि,

/स्था./अतिथि व्याख्याता/2026-27

बालोद, दिनांक- 22/10/2026

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी 30 द्वितीय/तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य शासकीय ..... महाविद्यालय ..... को इस सूचना को सूचना पटल पर स्थान देने के अनुरोध सहित प्रेषित।
4. रोजगार अधिकारी रोजगार कार्यालय बालोद - कृपया उपरोक्त सूचना, सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करें।
5. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
7. कार्यालय प्रमुख- स्थानीय शासकीय कार्यालय/अर्द्धशासकीय कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।
8. ब्यूरो चीफ, दैनिक समाचार ..... को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचना अपने समाचार पत्र में समाचार की तरह प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. महाविद्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

  
प्राचार्य  
शासकीय, बालोद  
Govt. Chaitanya Singh Gupta  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद,  
P.G. College, Balo, Baloda,  
जिला बालोद (छ.ग.)